TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN). (a) to (d) Yes, Sir. In order to meet the future demand for port services and to ease congestion at the existing Visakhapatnam Port, a proposal to create additional berthing facilities near Gangavaram to cater to the needs of Visakhapatnam Steel Plant was under consideration of the Visakhapatnam Port Trust.

Meanwhile, Andhra Pradesh Government declared Gangavaram as a minor port and decided to develop as an integrated industrial port city. In view of this, Visakhapatnam Port Trust have decided to develop an outer harbour to outer harbour to create additional berthing facilities.

लघु सिंचाई योजनाओं का मूल्यांकन

1308. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं के मूल्यांकन के कार्य को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लिया गया है;

(ख) आंध्र प्रदेश में मूल्यांकन के लिए ली गई लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या और उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में तटीय आन्ध्र, तेलंगाना और रायलसीमा तीन क्षेत्रों में अध्ययन किए गये। लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या तथा नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

क्षेत्र : तटीय आन्ध्र

क्रम सं०	योजना का प्रकार	योजनाओं की संख्या	योजनाओं के नाम
1	2	3	4
1.	सतही प्रवाह योजना	6	(i) गेड्डाकाटटू टैंक (ii) सिंगू टैंक (iii) बन्दीवानी टैंक (iv) गडिकिवानी टैंक (v) कोठा टैंक (vi) पाया तथा कोथा टैंक
2.	सतही लिफ्ट योजना	2	(i) संकमपेटा लिफ्ट सिंचाई योजना (ii) कोनाडा लिफ्ट सिंचाई योजना
3.	खुदाई कुएं	38	छकिवालसा गांव में-20 संख्या रेंगुपुरम् गांव में-18 संख्या
4.	सार्वजनिक कुएं	9	किट्टापल्ली गांव में 7 संख्या डोड्डिवुडवा गांव में-2संख्या
5.	निजी उथले नलकूप	239	रिल्लिवालसा गांव में-125 संख्या कुमुली गांव में-114 संख्या

1	2	3	4
		ख. क्षेत्र : तेलंगाना	
1.	सतही प्रवाह योजना	5	(i) ओकरछिरुवु टैंक (ii) पेड्डछिरुवु टैंक अंतरम गांव (iii) जामी कुण्टा टैंक (iv) पेडपडछिरुवु टैंक (v) ओकरछिरुवु टैंक पेड्डेमल गांव
2.	सतही लिफ्ट योजना	2	(i) जीवंगी लिफ्ट सिंचाई योजना (ii) इंदेचेड लिफ्ट सिंचाई योजना
3.	खुदाई कुएं	25	इब्नूर गांव में-13 संख्या अथवेल्लिगांव में-12 संख्या
4.	सार्वजनिक नलकूप	3	धन्नरम गांव में-1 संख्या धारूग गांव में-2संख्या
5.	निजी उथले नलकूप	6 तथा 10 लाभग्राही	नगासमुंदर गांव में-10 लाभग्राही कोनापुर गांव में-1 संख्या मचनूर गांव में-5 संख्या
		ग. क्षेत्र : रायलासीमा	
1.	सतही प्रवाह योजना	2	(i) छेल्लूर टैंक (ii) पेडिपटलावायलू जलाशय
2.	सतही लिफ्ट योजना	1	(ii) इसाका कालुवा पर चेक बांध (क) स्वर्णमुखी नदी की सहायक नदी
3.	खुदाई कुएं	27	सोनमबाटले गांव में-14 संख्या मिमावरम गांव में-13 संख्या
4.	सार्वजनिक नलकूप	6	छिन्नामंजिपेडु गांव में-4 संख्या छिगुरूवाडा गांव में-2 संख्या
5.	निजी उथले नलकूप	31 लाभग्राही	इलामण्डियम गांव में-19 लाभग्राही मुनागलपलेम गांव में-12 लाभग्राही

विवरण-II

आन्ध्र प्रदेश में लघु सिंचाई स्कीमों से निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन की महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. यद्यपि, लघु सिंचाई योजनाओं के परिणामस्वरूप लाभग्राहियों को अत्यधिक आय हुई है और फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है, तथापि, बीजों, उर्वरकों और बेहतर जल प्रबंध के विवेकपूर्ण उपयोग से इसमें और अधिक सुधार करने की गुंजाइश बनी हुई है। विद्यमान कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ एवं गतिशील बनाये जाने की आवश्यकता है।

2. विद्यमान तालाब सुनियोजित क्षमता से काफी कम पर कार्य कर रहे हैं, सिंचाई की मात्रा 50% से 60% ही रह गई है। घटिया अभिकल्प और निर्माण, खराब रख-रखाव, फोर-शोर भूमि का अतिक्रमण, पर्याप्त वितरण प्रणाली की कमी, और जल की अनियमित निकासी इन तालाबों के अल्प मात्रा में कार्यकरण के प्रमुख कारण रहे हैं।

3. आपूर्ति के उपयुक्त विनियमन, विशिष्ट लाइनिंग एवं बाराबंदी लागू करके जल वितरण की समानता का सुनिश्चय एवं दक्षता में सुधार किया जा सकता है।

4. कम होते जल स्तर को रोकने के लिये कुओं के निर्माण, करने के लिए स्पेसिंग स्टीपुलेशन के कार्यान्वयन के अलावा रिसन तालाबों और रोक बांध जैसी कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों को बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया जाना चाहिये। भू-जल के विकास के नियमन एवं नियंत्रण के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित समिति

की रिपोर्ट तैयार करने में शीघ्रता की जानी चाहिये ताकि राज्य सरकार कानून बना सके।

Modernising state police force

1309. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have considered proposal to provide assistance to the State Governments in modernising its police force with latest equipment and higher technology;

(b) if so, whether the Union Government is considering this proposal in respect of Andhra Pradesh;

(c) whether providing assistance to the State Government in improving police of the State which will greatly help in reducing deployment of central force in the State to maintain law and order;

(d) whether State had asked for additional financial assistance for modernising the police; and

(e) if so, the total amount asked for and provided by the Government during 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (e) Under the Scheme for Modernisation of State Police Forces, the Central Government has been providing financial assistance to the State Governments since 1969. This assistance does reduce, to an extent, the dependence of the State Governments on the Central Para-Military Forces.

Under the above Scheme, financial assistance of Rs. 309.56 lakhs was provided to Andhra Pradesh during 1995-96 against their allocation of Rs. 209.56 lakhs. During the said year, the State Government had also asked for special assistance to tackle left wing extremism and terrorism. A sum of Rs. 5.00 crores has been released by the Central Government in this regard during the current year i.e. 1996-97.

Assistance to Bihar and Assam under the flood proofing programme

1310. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the details of assistance given to the States of Assam and Bihar under the flood proofing programme during the last two years along with achievement made by these States; and

(b) the amount of assistance proposed to be given during the current year under this scheme?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) An amount of Rs. 1.5 crore has been released to the Government of Bihar in March 1996 as advance for initiating flood proofing works in the State. The utilisation certificate for the above amount is awaited from the State Government. No amount has been released to the Govt. of Assam for flood proofing works. The flood proofing programme launched under central sector during Eighth Plan covers only North Bihar.

(b) a budget provision of Rs. 7.00 crore has been made for the above programme during 1996-97. However, the release of the above amount would be on a reimbursement basis after the State Government have furnished the utilisation certificate for the amount released in March 1986.

Creating of Additional Irrigation Potential in Bihar

1311. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the target fixed for creation of additional irrigation potential in the State of Bihar during the Eighth Five Year Plan;

(b) the potential has so far been created in the States, district-wise; and

(c) whether the targets are likely to be